81

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2205-एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-10 पारित द्वारा कलेक्टर, कटनी मध्यप्रदेश प्रकरण क्रमांक 104/बी-121/09-10.

---

1. नारायण दास पिता स्व. चेटूमल ठरवानी
   साकिन ए.डी.एम. लाइन, माधव नगर, कटनी
2. राजकुमार पिता चेटूमल ठरवानी
   साकिन ए.डी.एम. लाईन, माधव नगर, कटनी
3. बंटू रोहरा पिता परमानंद रोहरा
   आचार्य कृपलानी वार्ड कटनी, जिला कटनी
4. श्रीमती हेमा नंदवानी पत्नि समानदास नंदवानी
   बाबा नारायण शाह वार्ड, माधव नगर, कटनी जिला कटनी
5. चंद्रिका नामदेव पिता नत्थूलाल नामदेव
   बाबा नारायण वार्ड कटनी जिला कटनी
6. संतोष कुमार पंजवानी पिता स्व. जगतराम पंजवानी
   ए.डी.एम. लाईन, माधव नगर, कटनी जिला कटनी
7. मनोज कुमार पंजवानी पिता राधाकिशन पंजवानी
   खैवर लाईन, माधव नगर, कटनी जिला कटनी
8. प्रशांत यादव पिता स्व. के.एन. यादव
   सुभाष चौक, सुभाष वार्ड, कटनी

---- आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
   द्वारा कलेक्टर, कटनी
2. शेख नजीर पिता सिकन्दर बक्स
   साकिन छपरा तह. बहोरीबंद जिला कटनी

---- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी ।
अनावेदक क्रमांक-1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी ।
अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8-7-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, कटनी द्वारा प्र.क्र. 104 बी/09-10 में पारित आदेश दिनांक

30-11-10 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक -2 शेख नजीर पिता सिकन्दर बक्स द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम छपरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि मालगुजारी शासन द्वारा प्रदत्त सेवा भूमि है, जिस पर उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं पटवारी हल्का से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । तदुपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 8-8-07 द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं पटवारी प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए तथा म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 2-10-2006 एवं 25-8-06 के प्रकाश में खसरा नं. 1138, 1136, 923 एवं 942 कुल रकबा 9.96 का अनावेदक कमांक - 2 को भूमिस्वामी घोषित करने के आदेश दिये गये तथा यह भी आदेश दिए कि उक्त भूमियों का विक्रय, हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । शेष खसरा नंबरों पर यथावत ग्राम नौकर सेवा भूमि के रूप में रहेगी यह आदेश दिये ।

3/ तहसीलदार के उक्त आदेश के उपरांत अनावेदक कमांक 2 द्वारा कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विक्रय की अनुमति के प्रतिबंध को विलोपित कर विक्रय की औपचारिक अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर, कटनी ने प्रकरण कमांक 58/अ-21/08-09 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 4-4-09 द्वारा अनावेदक कमांक-2 को खसरा नंबर 1136 एवं 1138 के विक्रय की अनुमति प्रदान की । अनुमति प्राप्त होने के उपरांत अनावेदक कमांक 2 द्वारा खसरा नंबर 1136 एवं 1138 की भूमियों का विक्रय आवेदकगण के पक्ष में किया गया तथा तहसील न्यायालय द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण किया गया ।

4/ उक्त विक्रयपत्र के संबंध में दिनांक 14-9-09 को शिकायत प्राप्त होने पर संयुक्त कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-8-2007 एवं कलेक्टर, कटनी के आदेश दिनांक 9-4-09 को संहिता की धारा 51 के तहत पुनरावलोकन में लिया जाना उचित होना मानते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया जिस पर से कलेक्टर ने दिनांक 8-2-10 को तहसीलदार के आदेश को पुनरावलोकन में लेने का आदेश पारित किया एवं कलेक्टर के प्रकरण को अवलोकन हेतु पेश किये जाने के आदेश दिए एवं पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए । अनावेदक कमांक 2 द्वारा पुनरावलोकन के संबंध में आपत्ति किए जाने पर आदेश दिनांक 11-5-10 द्वारा कलेक्टर ने संहिता की धारा 51 (1) के स्थान पर 50 पढ़े जाने के आदेश दिए और संहिता की धारा 50 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए । इसके उपरांत कलेक्टर ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रकरण दिनांक 31-5-10 को आदेश हेतु सुरक्षित रखा एवं आदेश दिनांक 30-11-2010 द्वारा संहिता की धारा 50 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-8-07 को निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमियां सर्वे नंबर 1136, 1138, 923 एवं 942 कुल रकबा 9.96 हैक्टर को पूर्ववत सेवा भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं साथ ही अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदकों के पक्ष में किए गए विक्रय विलेख का निष्पादन शून्यवत घोषित करने का विधिसम्मत प्रस्ताव सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं । कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

5/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदकों द्वारा प्रश्नधीन भूमि का क्रय कलेक्टर द्वारा विधिवत अनुमति प्रदान करने के उपरांत किया था । कलेक्टर के भूमि विक्रय के आदेश की पूर्ण जानकारी कलेक्टर को वर्तमान प्रकरण में थी । कलेक्टर द्वारा भूमि विक्रय के कलेक्टर के आदेश दिनांक 9-4-09 को ना तो पुनरावलोकन में लिया गया है और ना ही स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है उक्त आदेश के अस्तित्व में रहने के कारण कलेक्टर का आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी छोटेलाल नाम के व्यक्ति की शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा आलोच्य प्रकरण दर्ज किया गया है एवं संहिता की धारा 51 के तहत पुनरावलोकन में लिया गया, उस आधार पर अनावेदक कमांक 2 को नोटिस जारी किया गया, और उनके द्वारा यह आपत्ति किए जाने पर कि पुनरावलोकन के अधिकार कलेक्टर को नहीं है प्रकरण को संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी के तहत मान्य कर पुनः अनावेदक कमांक 2 को नोटिस जारी किया है और उसके द्वारा प्रस्तुत जबाव के आधार पर आवेदकगण को सुने बिना आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्वांत के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में शिकायतकर्ता कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही प्रकरण में कोई जांच राजस्व अधिकारियों से कराई गई है ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश शिकायतकर्ता को आवेदक के रूप में पक्षकार बनाकर आलोच्य आदेश पारित करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्यों स्वमेव निगरानी प्रकरण में शिकायतकर्ता पक्षकार नहीं हो सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा ही तहसीलदार के आदेश के उपरांत आदेश दिनांक 9-4-09 द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच कराने के उपरांत आलोच्य भूमियों के विक्रय की विधिवत अनुमति दी गई है । उक्त अनुमति के परिप्रेक्ष्य में विक्रेता अनावेदक कमांक 2 शेख नजीर द्वारा भूमियों का विक्रयपत्र आवेदकों के पक्ष में निष्पादित किया जाकर स्वामित्व अंतरित कर दिया गया है तब आवेदकगण का हित प्रभावित होने से उनका पक्ष सुना जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है ।

6/ अनावेदक कमांक 1 मध्यप्रदेश शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा तहसीलदार द्वारा की गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

7/ अनावेदक कमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अन्य भूमियों के अतिरिक्त आलोच्य भूमि भी मिसल बंदोवस्त 1908-09 में उनके बाबा बल्दनिया वल्द विहारी बिहना के नाम माफी खिदमती ग्राम कोटवार के नाम पर दर्ज है जो माल गुजारों द्वारा व्यक्तिगत सेवा के बदले ग्राम कोटवारों को दी गई थी । कलेक्टर ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया गया है, जो शेष भूमियां हैं उनमें मालगुजार का नाम का कोई उल्लेख नहीं होने से तहसीलदार द्वारा उन्हें उसका भूमिस्वामी घोषित नहीं किया गया तथा यथावत ग्राम सेवा भूमि

के रूप में रखे जाने के आदेश दिए हैं । तहसीलदार के इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का कोई आधार नहीं था फिर भी कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर विधिक त्रुटि की गई है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायदृष्टांत 1985 राजस्व निर्णय 228 गौरीशंकर चौबे विरूद्ध बक्ता में प्रतिपादित सिद्वांत तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक - 2632/2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण में दिनांक 30.10.2001 को पारित आदेश के विपरीत है । गौरीशंकर चौबे विरूद्ध बक्ता में पारित आदेश दिनांक 27-2-1985 (जो न्यायदृष्टांत 1985 आर0एन0 228 में प्रकाशित है) में माननीय उच्च न्यायालय ने अविभाजित म0प्र0 के दुर्ग जिले के 11 ऐसे कोटवारों को जिन्हें मालगुजारों द्वारा नवीन संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थी, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया । इसी प्रकार रिट याचिका क्रमांक 2064/2000 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2001 के द्वारा 36 अन्य कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व दिये जाने का आदेश पारित किया गया ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) को समझे बगैर तथा संहिता 1959 की धारा 185, 189 तथा 190 की भावना को समझे बगैर आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1954 की धारा 166 के प्रावधान के विरूद्ध विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर दो वर्ष उपरांत तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेते हुए आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर अनावेदक कमांक 2 के अधिवक्ता द्वारा भी कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

8/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्म अवलोकन किया । इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विधिवत जांच उपरांत उसे आदेश दिनांक 8-8-07 द्वारा आलोच्य भूमियों का भूमिस्वामी घोषित किया गया था । भूमिस्वामी घोषित होने के उपरांत अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा कलेक्टर, कटनी से विधिवत आलोच्य भूमियों के विक्रय की अनुमति दिनांक 09-4-09 को प्रदान करने के उपरांत भूमियों का विक्रय पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा आवेदकों को किया गया है । उक्त विक्रय के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किया गया है । कलेक्टर न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता उनके न्यायालय

में कभी उपस्थित हुआ नहीं हुआ है और ना ही प्रकरण में कोई जांच पटवारी, राजस्व निरीक्षक अथवा तहसीलदार से कराई गई है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 8-8-07 को पारित आदेश किस आधार पर पारित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर द्वारा उसे आलोच्य भूमियों को विक्रय करने की अनुमति आदेश दिनांक 9-4-09 द्वारा राजस्व अधिकारियों से जांच कराने के उपरांत दी गई है, अनुमति प्राप्त होने के उपरांत अनावेदक क्रमांक 2 शेख नजीर पिता सिकन्दर बख्श द्वारा आलोच्य भूमि का अंतरण पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकगण को किया गया है और विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकों का विधिवत नामांतरण किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदकों का हित प्रभावित होने से उनका पक्ष सुना जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था किंतु आवेदकों को सुने जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना अभिलेख से दर्शित नहीं होता है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

9/ तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आदेश पारित करने के पूर्व उनके द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया है जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई इसके अतिरिक्त पटवारी से भी जांच प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेख प्राप्त किए गए हैं । विचारण न्यायालय द्वारा कराई गई जांच से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर मिसल खसरा वर्ष 1908-09 में आवेदक के बाबा बल्दनियां वल्द बिहारी बिहना का नाम माफी खिदमती कोटवारी के रूप में अंकित है शेष भूमि पर अनावेदक क्रमांक 2 के पिता सिकन्दर वक्स के नाम ग्राम नौकर हक्क में दर्ज है । इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदक का नाम आलोच्य भूमियों पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश दिए तथा शेष भूमि यथावत ग्राम नौकर सेवा भूमि के रूप में रखे जाने के आदेश दिए हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 2 के पूर्वजों को भूतपूर्व मालगुजार द्वारा वर्ष 1908-09 से ग्राम की कोटवारी की सेवा के एवज में प्रश्नाधीन भूमियां कृषि प्रयोजन हेतु दी गई थी, जिस पर विगत 100 वर्षों से अधिक से अनावेदक क्रमांक 2 एवं उसके पूर्वजों का कोटवार के रूप में कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमियां राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1908-09 से माफी खिदमती के रूप में दर्ज थी । उक्त भूमि वर्ष 1959 में संहिता के प्रभावशील होने के बाद पट्टे पर अथवा सेवा भूमि के रूप में आबंटित नहीं की गई । न्यायदृष्टांत 1985 राजस्व निर्णय 228 (गौरीशंकर चौबे विरूद्ध बक्ता के प्रकरण यद्यपि उक्त मामला मालगुजार एव कोटवार के बीच था) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया कि — कोटवार प्रोपराईटर का व्यक्तिगत सेवक नहीं । वादग्रस्त भूमि लगातार कोटवार के कब्जे में रही उसे कभी बेदखल नहीं किया गया वह लगातार कोटवार भी रहा । कोटवार के रूप में व्यक्तिशः मालगुजार का सेवक नहीं था । उसके द्वारा की गई सेवायें ग्रामवासियों के लिये थी, अतएव म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) प्रत्यक्षतः लागू होती है, जिसके प्रभाव से वैष्ठन दिनांक से कोटवार शासन का मौरूसी काश्तकार हो गया । इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त अंश कोटवार अनावेदक क्रमांक 2 अथवा उसके पूर्वजों पर पूर्णतः लागू होते हैं । जिसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कोटवार शासन का मौरूसी काश्तकार नवीन संहिता लागू होने के समय हो गया था । मालगुजार द्वारा भूमि के पुर्नग्रहण हेतु नवीन संहिता की धारा 189 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत

भूमि स्वामी अधिकार उक्त मौरूसी कृषक अर्थात् वर्तमान कोटवार अनावेदक क्रमांक 2 को उद्भूत हो जाते हैं । कलेक्टर न्यायालय द्वारा विधि के इस सहज निष्कर्ष की अनदेखी कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट याचिका क्रमांक - 2632/2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण में दिनांक 30.10.2001 के आदेश से दुर्ग जिले के 11 ऐसे कोटवारों को जिन्हें मालगुजारों द्वारा संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थी, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया । इसी प्रकार रिट याचिका क्रमांक 2064/2000 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2001 के द्वारा 36 अन्य कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है ।

7- अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(2) एवं 45(3) को भी समुचित रूप से नहीं समझा गया ।

उक्त अधिनियम की धारा 45(2) के अनुसार :-

> Any person holding land as village service land shall be defined to be holding it from the State and shall be governed by the provisions contained in sections 42 to 48 of the Central Provinces Tenancy Act, 1920

उक्त अधिनियम की धारा 45(3) के अनुसार :-

> Any person holding land other than 'Sir' land from the proprieter on favourable terms for services rendered by him shall from the date of vesting be declaired to be an occupancy tenant of the state and the deputy commissioner shall fix the rent to be paid by him

अधिनियम की धारा 45(3) के सरल पाठ से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के बदले जो मालगुजार से मालगुजार की खुदकाश्त भूमि को छोड़कर भूमि favourable terms में प्राप्त करता है, वैष्ठन दिनांक से उक्त भूमि का मौरूसी कृषक घोषित किया जायेगा तथा भूमि का राजस्व उपायुक्त द्वारा नियत किया जायेगा । प्रश्नाधीन भूमि मालगुजार की खुदकाश्त भूमि नहीं थी, अपितु कोटवार द्वारा की गई सामुदायिक सेवा के बदले में मालगुजार द्वारा दी गई थी । उक्त भूमि तत्कालीन राजस्व अभिलेखों में माफी खिदमती के रूप में दर्ज है। अर्थात् मालगुजार द्वारा उक्त भूमि सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि के रूप में प्रदाय की गई थी, जो स्पष्ट रूप से favourable terms के अन्तर्गत आती है । इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) लागू होती है । अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर उपरोक्त धारा 45(3) के अन्तर्गत अनावेदक क्रमांक 2 मौरूसी कृषक हो जाता है । जिसे संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत पूर्व में की गई विवेचना के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 को प्रश्नाधीन भूमियों पर भूमि स्वामी अधिकार दिये जाने संबंधी आदेश देने

में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । कलेक्टर ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

10/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी के संबंध में दिया गया यह तर्क भी विधिसम्मत है कि, स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त अवधि के अंदर ही किया जा सकता है और यह अवधि कुछ माह ही हो सकती है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण में दो वर्ष की अवधि को युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में भी कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 104/बी-121/09-10 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2010 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, ढीमरखेड़ा प्रभारी वृत स्लीमनाबाद द्वारा प्र0क0 33/अ-6-अ/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 8-8-07 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम छपरा स्थित प्रश्नाधीन भूमियां खसरा नंबर 1136 एवं 1138 जो आवेदकगण ने कलेक्टर द्वारा विधिवत विक्रय की अनुमति प्रदान करने के उपरांत पंजीकृत विक्रयपत्र के द्वारा क्रय की गई हैं, पर आवेदकगण का किया गया नामांतरण राजस्व अभिलेखों में यथावत रखा जाये और राजस्व अभिलेख पूर्ववत संशोधित किये जायें ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर